

# सन्त केशर सिंह स्मृति सहायता कोष नियमावली उत्तरांचल 2005

(1)

कार्यालय—

समिति का कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय विकास भवन उधमसिंहनगर होगा।

कार्यक्षेत्र—

सम्पूर्ण उत्तरांचल

संस्था का उद्देश्य—

राय सिक्ख समुदाय के आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र/छात्राओं हेतु शैक्षिक उन्नयन के लिये कार्य करना एवं आर्थिक सहायता प्रदान करना।

संचालन समिति—

अध्यक्ष— जिला उधमसिंहनगर के जिलाधिकारी पदेन अध्यक्ष होंगे।

उपाध्यक्ष—राय सिक्ख समुदाय के शासन द्वारा नामित प्रतिष्ठित व्यक्ति

सदस्य— अध्यक्ष, जिला पंचायत पदेन।

सदस्य— राय सिक्ख समुदाय के दो प्रतिष्ठित व्यक्ति शासन द्वारा नामित।

सदस्य— जिला उधमसिंहनगर के वरिष्ठ कोषाधिकारी पदेन (कोषाध्यक्ष)

सदस्य— जिला उधमसिंहनगर के मुख्य विकास अधिकारी, पदेन।

सदस्य— जिला नैनीताल के मुख्य विकास अधिकारी, पदेन।

सदस्य सचिव—जिला समाज कल्याण अधिकारी उधमसिंहनगर पदेन।

सदस्यों का कार्यकाल— समिति के नामित सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष होगा।

गणपूर्ति—

समिति की बैठक के लिये 2/3 कोरम होगा।

समिति की बैठक—

समिति की त्रैमासिक बैठक होगी एवं अध्यक्ष की अनुमति से विशेष परिस्थितियों में बैठकें आवश्यकता पड़ने पर 15 दिन अथवा 03 दिन के अन्दर कभी भी आयोजित की जा सकेंगी। समिति राय सिक्ख के आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र/छात्राओं के शैक्षिक उन्नयन हेतु कार्य करने एवं आर्थिक सहायता को स्वीकृत करने के लिये निर्णय ले सकेगी।

समिति का दायित्व—

समिति का यह भी दायित्व होगा कि राय सिक्ख समुदाय के आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र/छात्राओं के शैक्षिक उन्नयन के लिये आवश्यक कार्यक्रम एवं आर्थिक सहायता का स्वरूप एवं प्रारूप सम्बन्धी नीति तैयार कर समाज कल्याण उत्तरांचल शासन से अनुमोदन प्राप्त करें।

समिति का कोष—

शासन द्वारा प्रदत्त धनराशि रु0—100.00 लाख (एक करोड़ मात्र) द्वारा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोल कर की जायेगी। समिति के उद्देश्य एवं कार्यों की पूर्ति इस धनराशि से अर्जित ब्याज से की जायेगी। इसके अतिरिक्त समिति अध्यक्ष की अनुमति से कोई दान एवं चन्दा भी प्राप्त कर सकती है तथा राय सिक्ख समुदाय के आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र/छात्राओं हेतु शैक्षिक उन्नयन के लिये उपरोक्तानुसार निर्धारित नीति/कार्यक्रम के अनुसार ऐसे पात्र छात्र/छात्राओं को आर्थिक सहायता/छात्रवृत्ति प्रदान करें। उक्त मूल धनराशि 100.00 लाख (एक करोड़) खर्च करने का अधिकार समिति को नहीं होगा।

खाते का संचालन—

अध्यक्ष की अनुमति उपरान्त सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।

५४

राय सिक्ख समुदाय के आर्थिक सहायता कोष  
उत्तरांचल शासन

(2)

अभिलेख-

समिति द्वारा वह सभी अभिलेख तैयार किये जायेगें जो एक शासकीय कार्यालय के लिये आवश्यक होते हैं एवं इसके रखरखाव के लिए सचिव उत्तरदायी होंगे।

आडिट-

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में समिति के आय-व्यय का आडिट चार्टेंड एकाउन्टेंट से कराया जायेगा एवं उसकी रिपोर्ट की एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

निरीक्षण-

समाज कल्याण, उत्तरांचल शासन द्वारा नियमित रूप से समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी एवं समिति को भंग करने का समस्त अधिकार शासन में निहित होगा।

न्यायिक मामले-

समिति का न्यायक्षेत्र जनपद उधमसिंहनगर होगा एवं वाद की पैशवी करने का अधिकार केवल सदस्य सचिव को होगा।

अन्य-

समिति को यह अधिकार होगा कि वह राय सिक्ख समुदाय के आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र/छात्राओं के शैक्षिक उन्नयन के लिये अन्य योजनायें बनाकर भी लागू कर सकती हैं। एवं शासन से अनुमोदनोपरान्त उनका कियान्वयन करें।

सूचना का अधिकार  
अधिनियम 2005 के तहत जारी